

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा

08 सितम्बर, 2021 (इं०)

बुधवार, तिथि-

[षष्ठम् (मानसून) सत्र]

17 भाद्र, 1943 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वहन)

-: प्रश्नोत्तर :-

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

-: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य :-

- (04)- सर्वश्री प्रदीप यादव, बंधु तिकी एवं श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-06.09.2021 एवं 07.09.2021 से स्थगित)
- (05)- सर्वश्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, अमित कुमार मण्डल एवं श्री आलोक कुमार चौरसिया, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-06.09.2021 एवं 07.09.2021 से स्थगित)
- (06)- श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-06.09.2021 एवं 07.09.2021 से स्थगित)
- (07)- सुश्री अम्बा प्रसाद, स०वि०स० श्री उमाशंकर अकेला, स०वि०स० एवं श्री राजेश कछप, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-06.09.2021 एवं 07.09.2021 से स्थगित)

कृ०पृ०३३०/-

(02)

(08)-सर्वश्री मद्युरा प्रसाद महतो, सुखराम उरौंव एवं श्री चमरा लिण्डा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-07.09.2021 से स्थगित)

(09)- सर्वश्री केदार हजरा, नवीन जयसवाल एवं श्री अमर कुमार बाउरी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-07.09.2021 से स्थगित)

(10)- श्री लम्बोदर महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-07.09.2021 से स्थगित)

(11)- सर्वश्री नलिन सोरेन, स्टीफन मराण्डी एवं श्री लोबिन हेम्ब्रम, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-07.09.2021 से स्थगित)

(12)- श्री दिनेश विलियम मराण्डी, स०वि०स० एवं सुश्री अम्बा प्रसाद, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-07.09.2021 से स्थगित)

(13)-श्री बंधु तिकी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(14)- प्रो० स्टीफन मराण्डी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(15)-श्री निरल पुरती, स०वि०स० एवं श्री सुखराम उरौंव, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (ऊर्जा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(16)-श्री दशरथ गागराई, स०वि०स० एवं श्री मद्युरा प्रसाद महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (खान एवं भूतत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(17)-श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

(18)- झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसारण में समितियों का गठन (यदि हो)।

कृ०पृ०३०/-

कि 0505105, -: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :- 0505105-(80)

(19)-प्रभारी मंत्री, वित्त डॉ० रामेश्वर उरॉव प्रस्ताव करेंगे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में मैं भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वित्तीय वर्ष-2018-19 का झारखण्ड राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सामान्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्रों का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत सरकार के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा है, को सदन पटल पर रखता हूँ। झारखण्ड विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जायेगा।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उनपर लोक लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।

(20)-प्रभारी मंत्री, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग डॉ० रामेश्वर उरॉव द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन 2018-2020 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2020 तक) की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।

(21)-प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग श्री जगरनाथ महतो द्वारा झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद (समग्र शिक्षा) का वर्ष-2019-20 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेषित लेखा की प्रति सभा मेज पर रखा जाना।

(22) -याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

विधायी कार्य

झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक, 2021

(23)- श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सत्यानन्द भोक्ता प्रस्ताव करेंगे कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित "झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक, 2021" पर विचार हो।

(24)- श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सत्यानन्द भोक्ता प्रस्ताव करेंगे कि प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित "झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक, 2021" स्वीकृत हो।

(04)

-:झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक,2021:-

- (25)- मुख्यमंत्री प्रभारी,नगर विकास एवं आवास विभाग श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक,2021"को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (26)- मुख्यमंत्री प्रभारी,नगर विकास एवं आवास विभाग श्री हेमन्त सोरेन,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (27)- मुख्यमंत्री प्रभारी,नगर विकास एवं आवास विभाग श्री हेमन्त सोरेन,प्रस्ताव करेंगे कि"झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक,2021"पर विचार हो।
- (28)- मुख्यमंत्री प्रभारी,नगर विकास एवं आवास विभाग श्री हेमन्त सोरेन,प्रस्ताव करेंगे कि"झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक,2021"स्वीकृत हो।

-:झारखण्ड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक,2021:-

- (29)- वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० रामेश्वर उरॉव, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक,2021"को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (30)- वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० रामेश्वर उरॉव,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (31)- वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० रामेश्वर उरॉव,प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक,2021"पर विचार हो।
- (32)- वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० रामेश्वर उरॉव,प्रस्ताव करेंगे कि"झारखण्ड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक,2021"स्वीकृत हो।

कृ०पृ०30/-

(05)

(33)-अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

उपरोक्त कार्य के लिए आवश्यक कार्यवाही के लिए

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०२१-२०११/वि०स०, राँची, दिनांक-०७/०९/२०२१

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

उपरोक्त कार्य के लिए आवश्यक कार्यवाही के लिए

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०२१-२०११/वि०स०, राँची, दिनांक-०७/०९/२०२१

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, अख्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को कनश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनाएँ प्रेषित।

उपरोक्त कार्य के लिए आवश्यक कार्यवाही के लिए

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।
ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०२१-२०११/वि०स०, राँची, दिनांक-०७/०९/२०२१

प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/ वेबसाईट शाखा/ पुस्तकालय शाखा/ जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी०वी० को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

शंकर:-

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

०५/०९/२०२१